महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – पंचानबेवां संस्करण (माह अगस्त, 2024)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015
3. आयुष्मान योजना
4. पंचायतों को पारदर्शी बनायेगा निर्णय'' एप्प
5. स्व–कराधान में अग्रणी – ग्रामपंचायत बलवाड़ी
6. जिला पंचायत के कार्य एवं राज्य की शक्ति
7. जनजातीय समाज के लिए संचालित अभियान और योजनाएं

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	प्रधान संपादक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री के.बी. मालवीय, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौरानबेवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2024 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में आयुष्मान योजना, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब और असमर्थ वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर रही है। जिसे **''आयुष्मान योजना''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसे साथ–साथ संस्करण में **''किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015'', ''आयुष्मान योजना'', ''पंचायतों को पारदर्शी बनायेगा'', '' 'निर्णय' एप्प'', ''स्व–कराधान में अग्रणी – ग्रामपंचायत बलवाड़ी'', ''जिला पंचायत के कार्य एवं राज्य की शक्ति''** एवं **जनजातीय समाज के लिए संचालित अभियान और योजनाएं** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

के.बी. मालवीय
संचालक

किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015

किसी भी राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के बच्चों पर निर्भर होता है यदि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया तब राष्ट्र का भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा। समय और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो कम आयु में ही अपराध कर बैठते हैं। कानून की भाषा में अपराध की ओर प्रवृत्त बालकों को विधि विरोधी किशोर कहा गया है। भारत में ऐसे किशोरों के लिए किशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया गया है । इस अधिनियम के सन् 2021 में संशोधन किया गया। लोकसभा में किशोर न्याय ;बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है जो बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत करने और कारगर बनाने का प्रयास करता है।

यह विधेयक किशोर न्याय ;बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) में संशोधन करता है। इस विधेयक में उन बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो। विधेयक में बाल संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने के उपाय किये गए हैं।

इस नए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विधि विरोधी किशोरों की देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था एवं उनके सर्वोत्तम हित में अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ऐसे बालकों को जेल कचहरी आदि के वातावरण तथा पेशेवर अपराधियों से दूर रखकर उन्हें पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। जिससे वे बड़े होकर आपराधिक जगत् के बुरे वातावरण से दूर रहकर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

किशोर अथवा बालक इस अधिनियम के अन्तर्गत किशोर या बालक शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। यह परिभाषा 18 वर्ष की आयु से कम किशोर अवस्था के सभी व्यक्तियों के प्रति लागू होती है चाहे वह लड़का हो या लड़की।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले किशोर को अपराधी या अपचारी किशोर संबोधित न करते हुए विधि.विरोधी किशोर कहा गया है।

विधेयक में प्रमुख संशोधन–

- गंभीर अपराध– गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिये सात वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं की गई है ।
- गंभीर अपराध वे हैं जिनके लिये भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत सज़ा तथा तीन से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है।
- गैर संज्ञेय अपराध –एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा होए वह संज्ञेय; जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है और गैर जमानती होगा।

विधेयक इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे।

- गोद लेना/एडॉप्शन–

  एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन करती है। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता पिता का है। बिल में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन का आदेश जारी करेगा।
- अपील– विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने एडॉप्शन के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार की अपीलों को दायर करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिये।
- ज़िला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्यों में शामिल हैं: (i) ज़िला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी करना (ii) बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।

अधिकृत न्यायालय– अधिनियम के तहत सभी अपराधों को बाल न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया जाए।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

आयुष्मान योजना

आयुष्मान योजना – भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उनकी गुणवत्ता में अनेक चुनौतियाँ हैं। विभिन्न भागों में लोग उच्च खर्चे के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में असमर्थ रहते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान योजना, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब और असमर्थ वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों और असमर्थ वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें बिना किसी भुगतान के अस्पताल में उपचार मिलता है।

आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा

में सुधार किया है। यह योजना भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास है और इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति उचित चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहे।

इस योजना के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता और पहुंच में सुधार आया है। गरीबी और असमर्थता के कारण लोग अक्सर उचित चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाते थे, लेकिन आयुष्मान योजना ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है।

इस योजना ने देशवासियों के बीमा सेवाओं में भी बदलाव लाया है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में समानता लाने का काम किया है। इसके अलावा, यह योजना भारतीय सरकार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकती है।

समाप्त करते हुए आयुष्मान योजना ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दी है और गरीबों के लिए एक सुरक्षित और उचित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना की है। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और उचितता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और भारतीय समाज के विकास के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

आयुष्मान भारत योजना से लाभ

यहां आयुष्मान भारत योजना से उठने वाले कुछ मुख्य लाभ हैं –

1. ''बीमा कवर उपलब्धता रू योजना के तहत, पात्र लोगों को वार्षिक 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इससे उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का आरामदायक उपयोग करने का मौका मिलता है बिना किसी भुगतान के।
2. ''चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच रू योजना से उपयुक्त लोगों को बिना किसी भुगतान के उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच मिलती है। इससे वे अपनी सेहत की देखभाल और उपचार करवा सकते हैं बिना आर्थिक बोझ उठाए।
3. ''बिना भुगतान के चिकित्सा रू योजना असमर्थ लोगों को बिना किसी भुगतान के अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है। इससे उन्हें आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते हैं।
4. ''चिकित्सा समर्थन रू योजना से लाभार्थी लोगों को विभिन्न चिकित्सा समर्थन सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि नागरिकता प्रमाणपत्र, बीमा कार्ड, और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ।
5. ''स्वास्थ्य सेवाओं में समानता रू योजना से भारतीय समाज में स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाई गई है और गरीब और असमर्थ लोगों को भी उचित चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिला है।

इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना ने भारतीय समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बड़ा सुधार किया है और गरीब और असमर्थ वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। यह योजना देश के स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उसे व्यापक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आयुष्मान भारत योजना से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है –

1. ''पंजीकरण (एम्पानलेमेंट) रू सबसे पहला कदम योजना में पंजीकरण करवाना होता है। इसके लिए लाभार्थी को अपने निकटतम आयुष्मान मित्र के पास जाना होता है। यहाँ पर उनकी पहचान की जाती है और उनके आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं।
2. ''योग्यता की जांच रू योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता की जांच होती है। इसमें लाभार्थी की आय, पारिवारिक स्थिति, आधार कार्ड के अनुसार पुष्टि, आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यदि उन्होंने योजना की योग्यता मान्यता प्राप्त की है, तो उन्हें योजना के तहत बीमा का लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
3. ''बीमा कार्ड जारी रू योग्यता प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को आयुष्मान भारत बीमा कार्ड (।लनैउंद ठींतंज ब्ंतक) जारी किया जाता है। इसके माध्यम से वह अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
4. ''चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग रू बीमा कार्ड प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी अपने निकटतम आयुष्मान मित्र के साथ अस्पताल जा सकते हैं और वहां चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें उन्हें किसी भी चिकित्सा सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, जो कि योजना द्वारा कवर किया गया होता है।
5. ''बीमा दावा प्रक्रिया रू चिकित्सा सेवा के बाद, अस्पताल या चिकित्सक आयुष्मान भारत योजना के तहत दावा प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। उन्हें लाभार्थी के बीमा कार्ड के आधार पर दावा दर्ज करना पड़ता है।
6. ''दावा की पुष्टि और भुगतान रू दावा की पुष्टि होने के बाद, बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा दावा की राशि भुगतान की जाती है। यह संबंधित अस्पताल या चिकित्सक को द्वारा चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना द्वारा लाभार्थी लोग बिना किसी भी आर्थिक बोझ के उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और पहुंच को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

पंचायतों को पारदर्शी बनायेगा निर्णय'' एप्प

मनुष्य को जीने के लिए पहली आवश्यकता है भोजन । भारत के संविधान मे देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की बडी जिम्मेदारी है लेकिन आजादी के इतने वर्षो बाद भी गरीब व्यक्ति अपना भोजन जुटाने मे सक्षम नही था। वह अपनी आधारभूत जरूरत को पूर्ण न कर पाने से व्यथित था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर गरीब के भोजन की समस्या का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप देश के 80 करोड़ से अधिके निर्धनजनों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है।

ग्राम सभा के निर्णयों या संकल्पों के बारे में अब समस्त नागरिकों को भी पता होगा कि ग्राम सभा में क्या–क्या मुद्दे उठे या क्या निर्णय लिए गये।

पंचायत सचिव को ग्राम सभा की कार्यवाही का वीडियो अपलोड करना होगा। ग्राम सभा के निर्णयों या संकल्पों जानने के लिए उन्हें पंचायत कार्यालय के ग्राम सभा संबंधी दस्तावेजी सुबूत के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे स्मार्टफोन में डाउनलोड ''निर्णय'' एप से पूरी कार्यवाही सरल भाषा में वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। इस पारदर्शी व्यवस्था से पंचायतों को जवाबदेह बनाने का प्रयास है, ताकि ग्रामीण निर्णयों के पालन आदि के बारे में प्रश्न कर सकें। भारत सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयास को अधिक सार्थक बनाने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय ने डिजिटल तकनीक को माध्यम बनाया है।

हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने National Initiative for Rural India to Navigate, InnovAte and Resolve PanchaYat decisions (निर्णय) एप का उद्‍घाटन किया है। सरकार चाहती है कि गांवों के समग्र विकास का जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में ग्रामीण भी भागीदार बनकर निगरानी कर सकें और पंचायतों के पुराने ढुलमुल रवैये को समाप्त किया जाए।

नेशनल इंफार्मेशन केन्द्र, भारत सरकार द्वारा निर्णय एप का लागिन–पासवर्ड पंचायत सचिव और ब्लाक सचिव को दिया जा रहा है। यह दिशा–निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में छह ग्राम सभाएं अवश्य करनी होंगी।

इनके विषय होंगे महिला एवं स्वयं सहायता समूह, बाल एवं युवा कल्याण, आजीविका एवं रोजगार, ग्रामीण स्थानीय निकाय में आधारभूत अवस्थापना, आपदा एवं मौसमी चुनौतियां और वित्तीय आत्मनिर्भरता। समग्र विकास की इन छह ग्राम सभाओं में जो भी संकल्प या निर्णय लिए जाएंगे, उनका वीडियो बनाकर ग्राम सचिव उक्त तिथि का उल्लेख करते हुए वीडियो एप पर अपलोड करेंगे। वीडियो मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुरूप पूरी जानकारी देने में सक्षम है या नहीं, उसमें कुछ अनर्गल या तथ्यात्मक गलती तो नहीं, इसकी पुष्टि अपने लागिन से ब्लॉक सचिव करेंगे। उनके द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही ग्राम सभा की कार्यवाही एप के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आएगी।

आमजन को किसी लागिन–पासवर्ड की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर ग्राम पंचायत का नाम और ग्राम सभा की तिथि चुनकर संबंधित ग्राम सभा की कार्यवाही की जानकारी ले सकेगा।

इस एप्प की सहायता से पंचायतों निर्णयों, संकल्पों के बारे जान सकेगा। जागरूक ग्रामीण उचित मंच पर प्रश्न कर सकेंगे कि उस बैठक में यह निर्णय हुआ था, उसके पालन की क्या स्थिति है। चूंकि, डिजिटल रूप में कार्यवाही का की जानकारी आमजन के पास होगी, जिससे पंचायतों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

जय कुमार श्रीवास्तव,
प्रोग्रामर

स्व–कराधान में अग्रणी – ग्रामपंचायत बलवाड़ी

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत बलवाड़ी तहसील मुख्यालय से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत बलवाड़ी की जनसंख्या लगभग 10 हजार हैं इस ग्राम पंचायत में सामान्य वर्ग के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। इस पंचायत में 20 वार्ड हैं। स्वयं की आय अर्जित करने में ग्रामपंचायत बलवाड़ी को अव्वल दर्जा प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा भवन एवं जलकर के साथ–साथ स्वच्छता कर से भी आमदनी होती है।

<u>स्वच्छता कर –</u> ग्राम पंचायत में 1200 से अधिक परिवार एवं मकान स्थित होकर मेन रोड़ एवं गली–गली में कचरा पड़ा रहता था इस कचरे को हाथ गाड़ी से परिवहन किया जाता था परन्तु कचरा इतना अधिक मात्रा में होता था कि उसका निपटान कठिन होता था, अतः ग्राम पंचायत बलवाड़ी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में कचरा वाहन क्रय करने का प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाकर जनपद पंचायत सेंधवा भेजा गया। कचरा वाहन क्रय करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन से 2.50 लाख एवं ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से 2.50 लाख जमा की गई।

ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण जनों को टैक्स जमा करने का आवाहन कर मुनादी कराई गई जिससे मात्र 10 दिवस मे 2.50 लाख रुपये एकत्र करके कचरा वाहन क्रय किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा कचरा वाहन क्रय करके घर–घर से कचरा एकत्र किया जा रहा है।

कचरा गाड़ी का रखरखाव डीजल एवं वाहन चालक का वेतन देने हेतु जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित कर कचरा वाहन का संचालन हेतु लगने वाला खर्च लगभग 20 हजार रुपये प्रतिमाह का अनुमान लगाया गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी दुकानों पर 150 रुपये स्वच्छता शुल्क निर्धारित कर लगभग 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह की ग्राम पंचायत की आय होती है जिससे कचरा गाड़ी का संचालन किया जा रहा है।

जल कर – ग्राम पंचायत बलवाड़ी मे 1000 से अधिक नल कनेक्शन होकर प्रतिमाह प्रत्येक उपभोक्ता से 100 रुपये जल कर लिया जाता है जिससे 4 कर्मचारी जिसमे 2 वॉटर मेन एवं 2 वसूली कर्मचारियों का कुल 28000/– रुपये प्रतिमाह वेतन पर व्यय किया जाता है एवं नलजल योजना का रखरखाव और बिजली का बिल आदि कार्य किये जाते है। प्रतिदिन संपूर्ण ग्राम में 1000 परिवार को पेयजल वितरण किया जा रहा है।

भवन कर – ग्रामपंचायत में कच्चे व पक्के मकानों पर उनकी कीमत मूल्य निर्धारित कर प्रति एक लाख रुपये पर 2: भवन कर 2: प्रकाश कर 2: जल निकास सफाई कर आरोपित किया गया है जिसकी प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख रुपये टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स वसूलने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है कि बगैर टैक्स जमा करें किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जावेगा इसलिये भवन निर्माण अनुमति, भवन नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत की बकाया राशि जमा करने के बाद ही जारी किये जाते है जिससे ग्राम पंचायत की वसूली अच्छी हो जाती है।

ग्राम पंचायत द्वारा भवन प्रमाणपत्र, अनुमति प्रमाणपत्र व लायसेंस नवीनीकरण पर 500/– रुपये शुल्क लिया जाता है जो जमा करना अनिवार्य किया जाता है।

ग्राम पंचायत के टैक्स से प्राप्त राशि से 12 कर्मचारियों को लगभग 70 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

जिला पंचायत के कार्य एवं राज्य की शक्ति

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जिला पंचायत के दिशानिर्देशों, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

वास्तव में देखा जावे तो विकास से संबंधित सभी कार्य तो ग्राम पंचायतों में ही होते हैं। जिला पंचायत क्षेत्र में सभी जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ मिले इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये जिला पंचायतों द्वारा नियोजित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यो को इस लेख में शामिल किया गया है।

जिला पंचायत के कार्य, धारा 52

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 5 में पंचायतों के कामकाज का संचालन एवं पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। जिला पंचायत के कार्यो का उल्लेख धारा 52 में किया गया है।

पंचायत अधिनियम के अर्न्तगत ऐसी नीतियों, निर्देशो, अनुदेशों साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर जारी किए जाए, अधीन रहते हुए जिला पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–

(एक) जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजनाए तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(दो) किसी विधि व्दारा उसे सौपी गई स्कीमों के और उन स्कीमों के जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी गई है, सम्बन्ध में वार्षिक योजना तैयार करना।

(तीन) जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के कियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन मानिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना।

(चार) जनपद पंचायतों व्दारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करना।

(पॉच) किसी विधि व्दारा उसे सौपी गई या जो केन्द्र या राज्य सरकार व्दारा सौपी गई है, ऐसी स्कीमों संकर्मो, परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।

(छह) केन्द्र या राज्य सरकार व्दारा अन्तरित किये गए या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों, सकमों, स्कीर्मों तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।

(सात) अंतरित किये गये कृत्यों, सकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकारा व्दारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार व्दारा नियत मानदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना।

(आठ) उन अनुदानों के प्रस्तावों को, जो जनपद पंचायत से किन्ही विशेष प्रयोजनों के लिए प्राप्त हुए है, समन्वित करना और उन्हें राज्य सरकार को अग्रेषित करना।

(नौ) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा अन्य संकर्मो का, जो दो या अधिक जनपद पंचायतों के साझे की हो, निष्पादन सुनिश्चित करना।

(दस) ग्राम पंचायत के माध्यम से या निष्पादन एजेन्सियों के माध्यम से संकर्मो, स्कीमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार व्दारा पंचायतों को अंतरित की गई है,उनकी निधि के स्त्रोतों को विचार में लाये बिना निष्पादित करना ।

(ग्यारह) विकास संबंधी क्रियाकलापों, पर्यावरण के संरक्षण सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।

(बारह) पंचायतों में नियुक्त किये गये और पदस्थ किये गये कर्मचारियों का, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानान्तरित किया गया कर्मचारीवृंद आता है, प्रशासन करना तथा उसका नियंत्रण करना।

जैसे –: राज्य सरकार व्दारा स्थानान्तरित किए गए कर्मचारीवृन्द के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण के अर्न्तगत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना आता है जैसा कि राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर विशेष या साधारण आदेश द्वारा अवधारित किया जाए।

(तेरह) किसी विधि व्दारा या केन्द्र या राज्य सरकार व्दारा उसको सौपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना ।

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार व्दारा उसे प्रदत्त की जाए या उसे सौपे जाए,

(2) (क) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिले में का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले की जिला पंचायत में विलीन हुआ समझा जायेगा और उक्त अभिकरण की समस्त आस्तियॉ तथा दायित्व और उसके कृत्य संबंधित जिला पंचायत को अन्तरित हो जाएगें ओर उसमें निहित रहेगें और उनका निर्विहन तथा अनुपालन संबंधित जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(ख) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस उपधारा के प्रारभ्भ होने की तारीख जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त स्थायी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं वही होगी जो कि विद्यमान वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाए हैं।

राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य, धारा 51

अधिनियम की धारा 51 में राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यो से संबंधित प्रावधान दियाज्य सरकार ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिस पर राज्य सरकार का कार्यपालिक प्राधिकार है या ऐसे कृत्यों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौपें गये हैं, कोई कृतय जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंप सकेगी और जनपद पंचायत या जिला पंचायत ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए उसे आवश्यक शक्तियां होंगी।

जहां जनपद पंचायत या जिला पंचायत को उपधारा 1 के अधीन कृत्य सौपे जाते हैं, वहां जनपद पंचायत या जिला पंचायत उन कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी।

राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत या जिला पंचायत को ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो इस धारा के अधीन जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझी जाए।

जनपद पंचायत या जिला पंचायत इस धारा के अधीन उसे सौपें गये उन कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेगी और ऐसे निर्दिशों का पालन करेगी जो समय पर उसे दिये जाएं।

पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्ति, धारा 53

ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पंचायतों को समुचित स्तर पर बजट तथा कर्मचारीवृंद के साथ ऐसी शक्तियां सौंपी जाएंगी जो कि अनुसूची–4 में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में, जिसके अंतर्गत आर्थिक

विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और स्कीमों का क्रियान्वयन तथा धारा 7, 49, 49–क, 50, 52 और अध्याय 14–क के अधीन उन्हें सौंपे गए अन्य कर्तव्य और कृत्य आते हैं, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों।

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पंचायतों को स्कीमों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के किसी काडर या किन्हीं काडरों के चयन, भर्ती, नियुक्ति तथा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारीवृन्द सम्बन्धी ढांचे (स्टाफिंग पेटर्न) और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, समुचित स्तर पर शक्तियॉ तथा जिम्मेदारी प्रदान कर सकेगी।

राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, पंचायतों के किन्हीं कृत्यों में वृद्धि कर सकेगी या ऐसी पंचायतों को सौंपे गये कृत्यों तथा कर्तव्यों को वापिस ले सकेगी। जब राज्य सरकार पंचायत को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों के निष्पादन को अपने हाथ में ले लेती है तो पंचायत ऐसे कृत्यों के लिये उस समय तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार ऐसे कृत्य पुनः न सौंप दे।

(संदर्भ स्त्रोत : मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) पंचायतों के कृत्य, धारा – 51, 52, 53)

डॉ. संजय राजपूत,
संकाय सदस्य

जनजातीय समाज के लिए संचालित अभियान और योजनाएं

जनजातीय समाज की अपनी क्षमता,मेधा और विशेषता होती है। स्वतंत्रता के लंबे समय तक जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नही हुए। लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। हर वर्ग का उत्थान हो रहा है।हर परिवार का अपना घर हो सभी को स्वच्छ पानी और भोजन मिले। सभी समृद्वि के मार्ग पर आगे बढे। इसके लिए हर गरीब और पात्र व्यक्ति को मुफ्त में घर इलाज शिक्षा और इलाज दिया जाता है। जनजातीय कल्याण सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए जनजातीय समुदायों को भी मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है।जनजातीय समुदाय के संस्कार संस्कति और पंरपराओं का यथावत रखते हुए उनका समग्र विकास किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास मे गति आई है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की प्रतिबध्दता के साथ काम कर रही है। सरकार के विशेष प्रयासो से अनुसूचित जनजातियों का विकास तथा सशक्तिकरण हो रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस की शुरूआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनजातीय समूहों के इतिहास मान्यताओं और संस्कति मे विशेस आस्था है। भगवान बिरसा मुंडा स्वत्व स्वाभिमान शौर्य संघर्स और स्वराज्य के प्रतीक हैं वह जनजातियों और देश के गौरव हैं। इसलिए वर्स 2021 मे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह दिन वीर पराक्रमी और महान जनजातीय नायक बिरसा मुंडा को समर्पित किया गया है। इससे आने वाली पीढ़ियों को देश के लिये किए गए उनके बलिदान के बारे मे जानकारी प्राप्त होगी। इससे प्रेरित होकर वे भविष्य निर्माण के बेहतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना लोक सांस्कतिक विरासत का संरक्षण उनके शौर्य और भारतीय मूल्यों के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

पीएम जन मन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुॅच रहा है। फिर भी जनजातीय समुदाय मे कुछ ऐसे समूह हैं जो आज भी बुनियादी लाभो से वंचित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे ऐसे समुदायों का भी ध्यान रखा गया है।इसके लिए पीएम जन मन योजना की शुरूआत की गयी है। इसका उददेश्य 18 राज्यो और एक केन्द्र शासित प्रदेश मे रहने वाले 75 विषेश रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समुचित विकास करना है। यह समूह शिक्षा स्वास्थ्य और आजीविका के सामाजिक आर्थिक संकेतको मे लगातार पिछड़ रहे हैं। इसके लिए 24 हजार 104 करोड़ रूप्ये का बजट रखा गया है।

रियायती दर पर ऋण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातीय समुदायों के रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रहे है। जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार और अन्य कार्यो के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम पात्र जनजातियों के व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत पिछले नौ साल के दौरान 8 लाख 71 हजार 101 लोगों नें लाभ प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना हर स्तर पर जनजातीय वर्ग का विकास करना हैं। इसके लिए जनजातीय बाहुल्य गांवो के विकास विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई हैं। इसका उद्धेश्य 4.22 करोड़ जनसंख्या (कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 40 प्रतिशत) वाले गांवो का कायापलट करना है। इसके तहत 2025–26 तक अधिसूचित जनजाति वाले राज्यो के कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या और 500 एसटी वाले 36 हजार 428 गांवों को कवर किया जायेगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

जनजातीय वर्ग की आजीविका के अवसरो को बढ़ाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य एजेंडे मे शामिल है। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्धेश्य जनजातीय वर्ग के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा इस मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल के समर्थन पर जोर दिया गया है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गरीब हो या अमीर गांव का हो या शहर का सभी को शिक्षा समान अवसर मिलना चाहिए।इसलिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयो मे जनजातीय छात्रों को उनके अपने परिवेश मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। 2011 की जनगणना के आधार 50 प्रतिशत से अधिक एसटी और कम से कम 20 हजार जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक मे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। करीब 694 विद्यालयो को मंजूरी दी गयी है। जिसमे से देशभर में लगभग 401 एकलव्य विद्यालय काम कर रहे है। इससे 1 लाख 18 हजार 982 छात्रो को लाभ मिल रहा है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।

समग्र शिक्षा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को भी कम किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटना है। योजना के तहत पहचान किये गये विशेष फोकस जिलों पर भी ध्यान दिया जा रहा हैं।इसमें इन जिलो में स्कूलों में नामांकन पढाई में बने रहने और लैंगिक समानता के साथ साथ एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान देने जैसे विभिन्न संकेतकों के आधार पर प्रतिकूल प्रदर्शन पर भी गौर किया जाता है।

साक्षरता दर में सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के 59 प्रतिशत से सुधरकर आवधिक श्रम बल सर्वे पीएलएफएस की जुलाई 2021—जून 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 72 1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2013—14 के 91.3से बढ़कर 2021—22 में 98.0पर पहुंच गया वहीं एसटी छात्रों के मामले में जीईआर सेकेंडरी स्तर (नौंवी—दसवीं) पर 2013—2014 के 72.2 से बढ़कर 2021—22 मे 78.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं सीनियर संकेंडरी स्तर (11वीं—12वीं) की पढ़ाई मे एसटी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 2013—14 के 35.4

से बढ़कर 2021–2022 में 52.0 पर पंहुच गया। उच्च शिक्षा की यदि बात की जाये तो एसटी छात्रों जीईआर 2013–14 के 11.3 से बढ़कर 2020–2021 में 18.9 प्रतिशत हो गया है।

डीएपीएसटी कोष

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।इसके लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू की गई है। केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 42 मंत्रालय और विभाग हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत डीएपीएसटी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ,सिंचाई, सड़क,आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित कर रहे हैं। केन्द्रिय बजट 2023–24 में 42 मंत्रालयों तथा विभागों के कुल योजना बजट आवंटन में से 1 लाख 17 हजार 943 73 करोड़ रुपये डीएपीएसटी कोष के तौर पर आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा जनजाति समुदाय को कौशल भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण जल जीवन मिशन ,स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य